



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार)  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)  
आई.एस.ओ. 9001:2015 द्वारा प्रमाणित  
Certified with ISO 9001:2015



क्षेत्रीय कार्यालय (दिल्ली) / Regional Office (Delhi)  
तृतीय एवं चतुर्थ तल, राजेंद्र भवन, राजेंद्र प्लॉस, नई दिल्ली-110008  
3<sup>rd</sup> and 4<sup>th</sup> Floor, Rajendra Bhawan  
Rajendra Place, New Delhi – 110008  
Phone: 011-25734381, 25745044 Email: rd-delhi@esic.nic.in  
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

फ.सं.111-A-12/1/Court/Case/LDCE/Shammi/2018

दिनांक-14-11-2025

**कार्यालय आदेश संख्या 248, वर्ष 2025, प्रशासन- II**  
**Office Order No. 248 of 2025 Admn.-II**

विषय : दिनांक 15/16 सितम्बर, 2018 को निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली क्षेत्र में अवर श्रेणी लिपिक पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एल.डी.सी.ई.) के अनुपूरक परिणाम/पदोन्नति आदेश (रोकी गई स्थिति) की घोषणा के संबंध में।

**Sub: - Declaration of Supplementary Result/Promotion Order (withheld status) of LDCE held on 15th/16th September, 2018 in Directorate (Medical) Delhi region for promotion to the post of Lower Division Clerk.**

प्रशासन-2 शाखा द्वारा जारी वर्ष 2018 का कार्यालय आदेश संख्या- 280, दिनांक-31/12/2018 के क्रम में निम्नलिखित अभ्यर्थियों ने निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली क्षेत्र में 15/16 सितम्बर, 2018 को अवर श्रेणी लिपिक पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (अपनी योग्यता के क्रम में) उत्तीर्ण की है।

In continuation of this office order no. 280/2018 (Admn-II) dated 26.12.2018, the following candidates has qualified (in order of their merit) in Limited Departmental Competitive Examination for promotion to the post of Lower Division Clerk held on 15th /16th September, 2018 in Directorate (Medical) Delhi Region.

सक्षम प्राधिकारी ने माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के द्वारा शम्मी बनाम ई.एस.आई.सी. (ओ.ए.-253/2018) में पारित निर्णय दिनांक-21/05/2025 के अनुपालन में सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) 2018 के अनुपूरक परिणाम घोषित करने और निम्नलिखित कर्मचारियों को नियमित आधार पर अवर श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु अनुमोदन प्रदान किया है:-

In compliance of Hon'ble CAT judgement order dated 21.05.2025 in OA-253/2018 titled as Shammi Vs ESIC, the Competent Authority has accorded the approval for declaring the supplementary result of LDCE-2018 and promotion in respect of following officials to the post of Lower Division Clerk on regular basis: -

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी संख्या	संवर्ग	श्रेणी/ श्रेणी	चयन वर्ष	रिक्त वर्ष	वर्तमान तैनाती स्थान
01	अमित कुमार कनोजिया	134836	नर्सिंग अर्दली	SC/SC	2014-15	क.रा.बी.नि.अ. ओखला	
02	अभिमन्यु कौशिक	139431	नर्सिंग अर्दली	UR/UR	2015-16	क.रा.बी.नि.अ. बसईदारापुर	

उपर्युक्त परिणाम/पदोन्नति निम्नलिखित न्यायालयीन मामलों के अंतिम परिणाम के अधीन है :

The above result/promotion is subject to the final outcome of the following court cases:

क्र.सं.	मामलों का विवरण	बनाम
1	WP No. 2853/2025 filed by ESIC in High Court of Delhi against order dated 05.09.2014 of CAT, New Delhi in OA 1427/2012	ESIC Vs Shri Saurabh Kumar
2	WP No. 2725/2016 against order dated 25.09.2014 of CAT PB New	ESIC & Ors. Vs. Shri

	Delhi in OA No. 1777/2013	Somdutta Sharma Dadhich & Ors.
3	WP (C) 10503/2017 & CM No. 42983/2017 (Appeal against order dated 08.09.2014 of Hon'ble CAT PB New Delhi in OA No. 157/2013	ESIC & Ors. Vs. Shri Devender & Ors.
4	Hon'ble CAT OA No. 100/2234/2018	Kuldeep Sauran & Ors. Vs. ESIC & Ors.
6	WP(C) 5666/2018 and CM No. 22074/2018 (stay) filed in Hon'ble High Court of Delhi	Shammi & Ors. Vs ESIC & Ors.

उपर्युक्त परिणाम तैयार करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है। तथापि सक्षम प्राधिकारी के पास किसी भी प्रकार की त्रुटि/चूक को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

While every care has been taken in preparing the above result, the Competent Authority reserves the right to rectify errors/omissions, if any, at later stage.

उपर्युक्त कर्मचारियों की अवर श्रेणी लिपिक पद पर पदोन्नति काल्पनिक रूप से ( notionally) दिनांक-31/12/2018 (अवर श्रेणी लिपिक पद के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा- 2018 के परिणाम की घोषणा की तारीख) से प्रदान की गई है। हालांकि वास्तविक आर्थिक हितलाभ अभ्यर्थियों द्वारा पदोन्नत पद (अवर श्रेणी लिपिक) पर की गई कार्यग्रहण तिथि से स्वीकार्य होगा।

The promotion of above officials has been ordered notionally w.e.f. 31/12/2018 i.e. the date of declaration of LDCE result for promotion to the post of Lower Division Clerk. However, the actual monetary benefit shall be admissible from the date of assumption of charge to promoted post i.e. Lower Division Clerk.

नियमित आधार पर अवर श्रेणी लिपिक पद पर पदोन्नति होने पर उन्हें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतन संरचना के लेवल-2 में वेतन देय होगा जो पूर्व-संशोधित वेतन बैंड ₹5200-20200 के साथ ग्रेड वेतन ₹1900/- के अनुरूप है या मौजूदा वेतन जो भी नियमों के तहत वेतन निर्धारण लंबित होने तक अधिक हो, के अनुरूप होगा। वे इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 13 के प्रावधानों द्वारा विनियमित नियम एफ.आर. 22(I)(ए)(i) के तहत अपने वेतन निर्धारण का विकल्प भी चुन सकते हैं।

On his promotion to Lower Division Clerk on regular basis, he will draw his pay in the revised pay level- 2 of revised pay structure as per 7th CPC recommendations corresponding to the pre- revised pay band of Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1900/- or the existing pay, whichever is higher pending fixation of pay under the rules. He may also opt for the fixation of his pay, under rule FR 22(I) (a)(i) regulated by the provisions of Rule 13 of CCS (RP) Rules, 2016, within one month from the date of issue of this order.

तथापि, ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के रूप में उपर्युक्त वेतनमान या उच्चतर वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी उसी वेतनमान में बने रहेंगे तथा पदोन्नत पद के वेतनमान में उनके मामले में कोई वेतन निर्धारण अपेक्षित नहीं है।

However, official getting above mentioned pay scale or higher pay as financial up-gradation under ACP/MACP Scheme shall continue in the same pay scale and no pay fixation in his case in the promoted post's pay scale is required.

कर्मचारी की पदोन्नति उन सेवा की शर्तों और नियमों के अधीन होगी जो समय-समय पर संशोधित कर्मचारी राज्य बीमा नियम (कर्मचारी और सेवा की शर्तें) विनियम, 2023 में निर्धारित समान श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

The promotion of official is subject to such terms & conditions of services as are applicable to similar class of employees as laid down in the Employees' State Insurance Corporation (Staff & Condition of services) Regulations, 2023 as amended from time to time.

कर्मचारी की वरिष्ठता उनके नाम के सामने उल्लिखित संबंधित रिक्ति वर्ष में निर्धारित की जाएगी, जिनमें उनका चयन हुआ है।

Seniority of the officials will be fixed in the respective vacancy year in which he is selected as mentioned against his name.

कृपया अनुपालन की सूचना इस कार्यालय को तुरंत भेजें।

Compliance may be sent to this office immediately.

पुनीत कुमार गोविन्द

उप निदेशक

प्रति-

1. अपर आयुक्त (भर्ती), ई.एस.आई.सी., मुख्यालय, पत्र संख्या ए-36/14/01/2017-परीक्षा दिनांक 28.12.2018 और पत्र संख्या A-36/14/04/Misc./2017-परीक्षा दिनांक 19/08/2019 के संदर्भ में।
2. निदेशक (ई-V), ई.एस.आई.सी., मुख्यालय, सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली।
4. ओ.एस.डी.-आई.टी. सेल/आई.सी.टी. दिल्ली की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
5. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.नि.अ. बसईदारापुर/ओखला।
6. अतिरिक्त प्रति के साथ गार्ड फ़ाइल।